FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... सहायक कलक्टर (कोर्ट) .... मुकाम .... चौहटन ....

.... देवाराम बकोरा .... बनाम .... चूनाराम ....

किस्म मुकदमा .... रा. अ. 251'A' प्र.का. नं. 237/2021 .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/08/2021	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री .... नरपत पुरोहित .... ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा .... 251 A .... राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/09/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला-बाड़मेर	
27/09/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा पेश किया गया व विप्रार्थी संख्या-1 व 2 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे भी शामिल पत्रावली किया गया। अतः विप्रार्थी संख्या-1 के जवाब व बहस हेतु पत्रावली दिनांक 28/09/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

29/09/2021 वकलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार बा. से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते है। मौका दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11/10/2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जिला-बाड़मेर

11/10/2021 वकलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा दिनांक-01/10/2021 को वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या-1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते है एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक-15/11/2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जिला-बाड़मेर

15/11/2021 वकलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्पों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/01/2022 को पेश हो।

11/01/2021 वकलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया फाईनल पेश करना चाहते है मौका दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17/02/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/02/2022	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाइनल पेश करना चाहते हैं पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये अंतिम अवसर दिया जाकर वास्ते जवाब व बहस हेतु दिनांक-23/02/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला-बाड़मेर	
23/02/2022	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाइनल पेश करना चाहते हैं पूर्व में अंतिम अवसर दिया गया था। न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक-14/03/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला-बाड़मेर	
14/03/2022	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाइनल पेश करना चाहते हैं एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 30/03/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला-बाड़मेर	
30/03/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 12/05/22 को पेश हों।	
12/05/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 13/07/2022 को पेश हों।	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/07/2022	वकलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया कहना पेश करना चाहते है पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक-22/08/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर
22/08/2022	वकलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया कहना पेश करना चाहते है पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये न्यायहित में एक और अन्तिम अवसर दिया जाता है तथा साथ ही विपक्षी अधिवक्ता को निर्देश दिये जाते है कि आगामी पेशी तारीख पर जवाब पेश नहीं करने पर आपका जवाब बन्द कर दिया जायेगा। अतः जवाब हेतु पत्रावली दिनांक-13/09/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर
13/09/2022	वकलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को दी गई, प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड एवं विपक्षी संख्या-1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन व तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर ले बाद दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 237 / 2021

दिनांक :– 13/09/2022

प्रार्थी

1. देवाराम पुत्र भगवानाराम
2. भोमाराम पुत्र भगवानाराम

जाति जाट निवासी लुनाड़ा,
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चूनाराम पुत्र रूगाराम
   जाति जाट निवासी लुनाड़ा,
   तहसील बायतु जिला बाड़मेर
2. **तहसीलदार बायतु**

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री नरपत पूनड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री कुम्भसिंह चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1

आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1048 रकबा 11.5867 हैक्टेयर ग्राम लुनाड़ा पटवार मण्डल लुनाड़ा तहसील बायतु से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1407 / 1048 रकबा 3.4463 हैक्टेयर में से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालातानामा पेश किया गया। प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदारं बायतु को लिखा गया।

मौका रिपोर्ट तहसीलदार बायतु द्वारा तैयार की गई। मौका रिपोर्ट तहसीलदार बायतु द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को साथ रखकर तैयार की गई। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त रास्ता जो बिन्दु संख्या A से B तक जिसकी दूरी 110 मीटर है, परन्तु प्रार्थी के खेल खसरा नम्बर 1048 के बिन्दु संख्या B पर दुर्गम रेतीला धोरा आया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर

(12)

पर बिन्दु संख्या A से B तक काश्त की हुई है। संलग्न नक्शें में बिन्दु संख्या C से D तक खाली है। प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 6 बिस्वा है।

विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दी गई। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते स्थान से रास्ता निकाले जाने पर विप्रार्थी का खेत दो टुकड़ों में विभाजित हो जायेगा। मौक़ा रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में बिन्दु संख़्या A से B तक रास्ता दिये जाने हेतु सहमत है। तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण व वकील विप्रार्थी संख्या 1 को सुना गया। प्रार्थीगण वकील मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार बिन्दु संख्या C से D तक रास्ता कायम किये जाने हेतु सहमत है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। विप्रार्थीगण जिस बिन्दु संख्या A से B तक रास्ता देने हेतु सहमत है उसके रास्ते में बिन्दु संख्या B पर दुर्गम रेतीला धोरा है। विप्रार्थीगण बिन्दु संख्या A से B तक रास्ता दिये जाने हेतु सहमत है। अंत में प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार बिन्दु संख्या C से D तक 6 बिस्वा का रास्ता कायम किया जाये, जिस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत है।

हमने प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई नजदीकी मार्ग नहीं है।

प्रार्थीगण के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है, वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थीगण को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 1048 तक पहुंच सकें। बिन्दु संख्या A से B तक के रास्ते में बिन्दु संख्या B पर दुर्गम रेतीला धोरा है।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन
जिला-बाड़मेर

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लुनाड़ा पटवार मण्डल [redacted] तहसील बायतु के खसरा नम्बर 1407/1048 में से होकर खसरा नम्बर 1048 तक पहुंचने हेतु 6 बिस्वा का रास्ता मौका रिपोर्ट में दर्शाये बरंग अनुसार बिन्दु संख्या C से D तक कायम किया जाता है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल सी की दर से 11346/– से दुगना देय होगा। तहसीलदार बायतु प्रार्थीगण को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 6 बिस्वा की राशि 22692/– तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 22692/– नियमानुसार विप्रार्थीगण को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

13/9/22

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर